

# राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एम्पार्ड कमेटी का संक्षिप्त विवरण

1.	संबद्ध संस्था का नाम एवं पता	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एम्पार्ड कमेटी पता—वन विभाग, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, झालाना ढूंगरी अरावली भवन, जयपुर
2.	संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाया या अन्य)	एम्पार्ड कमेटी
3.	संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना पर्व, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)	स्थापना पर्व—2000, राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक प 6(15)प्र.सु. अनु-3/2003/दिनांक 25.4.05 द्वारा राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के भौतिक एवं वित्तीय विकास एवं विकास हेतु हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (त्मपउइनतेमउमदज) हेतु कार्यवाही करने तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने प्रशिक्षण हेतु महालेखाकार से ऑडिट कराने आदि कार्यों का रिव्य करने हेतु समिति का गठन किया गया।
4.	संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)	परामर्शदात्री।
5.	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	राज्यस्तरीय—(1) मुख्य सचिव—अध्यक्ष (2) अति. मुख्य सचिव उद्योग पर्यावरण एवं वन—उपाध्यक्ष। (3) डायरेक्टर जनरल, फॉरेस्ट और स्पेशल सैक्रेटरी, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली और उनका प्रतिनिधि—सदस्य (4) प्रमुख सचिव, वित्त और उनका प्रतिनिधि को सैक्रेटरी की रेंग से नीचे का न हो—सदस्य। (5) सचिव वन—सदस्य (6) सचिव योजना—सदस्य (7) मुख्य प्रतिनिधि जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल ऑपरेशन, नई दिल्ली—सदस्य (8) प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सदस्य (9) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास एवं साझा वन प्रबंध) सदस्य (10) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना जयपुर—सदस्य, सचिव।
6.	सम्पर्क अधिकारी का नाम .	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली भवन, जयपुर
7.	मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते	मुख्य कार्यालय—अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना, अरावली भवन, जयपुर
8	बैठक की आपूर्ति	तीन माह में एक बार।
9.	क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है?	नहीं।
10.	क्या बैठक में कार्यवृत्त तैयार किये जाते हैं ?	हाँ।
11.	क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? अगर हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दें	सूचना के अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार।